विवेक खांडेकर, भा0व0से0
सहायक महानिदेशक (प्रशा0)

दूरभाष सं0: 0135-2224869
फैक्स सं0: 0135 -2750297
ई–मेल : adg_admin@ icfre.org

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय)

डाकघर – न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006 (उत्तराखंड)

संख्या 3–24/भा0वा0अ0शि0प0/प्रशा0 (भाग 2)

दिनांक : 5 जून, 2014

निविदा सूचना

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (मुख्यालय), भवन, डाकघर – न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006 के कैंटीन संचालन हेतु इच्छुक टेंडर दाताओं से वस्तु मूल्य सूची के साथ मुहरबंद बोली/ निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

मुहरबंद बोली/ निविदा सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को संबोधित होनी चाहिए एवं मुहरबंद बोली/ निविदा की सुपुर्दगी **सहायक महानिदेशक (प्रशासन), पहली मंजिल, कक्ष सं0 106, डाकघर – न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006 के कार्यालय** में की जानी चाहिए।

मुहरबंद बोली/ निविदा **दिनांक 19/06/2014 को दोपहर 13:00 बजे** या उससे पूर्व **पंजीकृत डाक** अथवा **बाई हैंड** दी जानी चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त बोली/ निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त मुहरबंद बोलियां/ निविदाओं को उसी दिन दिनांक **19/06/2014 को अपराहन 15:30 बजे** खोला जायेगा। नियम एवं शर्तें निविदा प्रारूप के साथ सहायक महानिदेशक (प्रशा0), भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के कार्यालय से ₹ 200/– की नकद राशि का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रारूप भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की वेबसाईट **www.icfre.gov.in** एवं **www.icfre.org** से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाईट से निविदा प्रारूप डाउनलोड किए जाने की स्थिति में बोलीदाता को डी0डी0ओ0, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (राजस्व खाता) के पक्ष में ₹ 200/– का डिमांड ड्राफ्ट निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा। ठेकेदाता/बोलीदाता को (सरकार द्वारा जारी) पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(विवेक खांडेकर)
सहायक महानिदेशक (प्रशा0), भा0वा0अ0शि0प0
डाकघर – न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006

प्रतिलिपि :

1. सूचना पट्ट, भा0वा0अ0शि0प0 (मुख्यालय), भवन
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0) को सूचनार्थ।
3. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग को निविदा वेबसाईट में प्रदर्शित करने हेतु।
4. निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान के सूचना पट्ट पर समुचित प्रचार/प्रसार के लिए चस्पा करने हेतु।

परिशिष्ट – 1
कैंटीन संचालन हेतु निविदा प्रारूप

बोलीदाता का नाम एवं पता ——————————————————————

दूरभाष सं0 ——————————————————————

मैं/ हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/मेरे प्रतिनिधि ने कैंटीन हॉल का निरीक्षण कर लिया है, एवं वह स्वच्छ तथा रसोईधर एवं सैलिंग फैन के साथ ही आवश्यक विद्युत कनेक्शन एवं ट्यूब लाईट्स से सुसज्जित है। मैं/हम विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भोजन की उत्तम गुणवत्ता एवं सामग्री प्रदान करने का इच्छुक हूं/हैं। मेरी/हमारी खाद्य सामग्री की सूची इसके दर/मूल्य सहित निविदा के साथ संलग्न **परिशिष्ट – 3** में दी गई हैं।

मुझे/हमें प्रदत्त नियम एवं शर्तें **(परिशिष्ट – 2)** को मैने/हमने भली–भांति पढ़ लिया है, एवं मैं उक्त नियम एवं शर्तों से सहमत हूं। निविदा के नियम एवं शर्तों की अवहेलना होने पर, मेरी/हमारी प्रतिभूति जमा राशि महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, डाकघर – न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006 द्वारा जब्त कर ली जाए।

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि इस संबंध में, भविष्य में किसी प्रकार का सरकारी बकाया अगर उत्पन्न होता है, तो वह पूरी तरह से मेरे/हमारे द्वारा वहन किया जाएगा। मेरी/हमारी कैंटीन संचालन में असमर्थता के कारण विभाग द्वारा जब भी आदेश होगा मैं/हम कैंटीन हॉल को उसी स्थिति में सौंपने का वचन देता हूं/देते हैं, जैसे वह अनुबंध के समय थी।

(बोलीदाता का नाम एवं हस्ताक्षर)

सेवा में,

सहायक महानिदेशक
प्रशासनिक निदेशालय
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्,
डाकधर– न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006

परिशिष्ट – 2
नियम एवं शर्तें

1 विभाग द्वारा कैंटीन हॉल, फर्नीचर, एक्वागार्ड एवं पानी 3,000/प्रतिमाह की निम्न दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

2 कैंटीन का अनुबंध 01/07/2014 से 30/06/2015 अर्थात एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

3 ठेकेदार द्वारा संतोषजनक सेवाएं प्रदान किए जाने पर कैंटीन का अनुबंध आगे की अवधि के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त समझते हुए नए सिरे से विचार किया जायेगा।

4 ठेकेदार को ₹10,000/–(₹Ten Thousand Only) की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी, जो कि अनुबंध की अवधि में कैंटीन के बर्तन, फर्नीचर एवं बिल इत्यादि एवं किसी प्रकार की हानि/क्षति, यदि हो, की कीमत के समायोजन के पश्चात लौटा दी जायेगी।

5 ठेकेदार को कैंटीन परिसर के अंदर और बाहर सफाई बनाए रखनी होगी। ठेकेदार द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को निविदा में दर्शाए गए एवं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित दरों पर स्वच्छ शाकाहारी भोजन एवं उत्तम गुणवत्ता की चाय, कॉफी, ब्रेड, बिस्कुट/नमकीन इत्यादि वस्तु उपलब्ध करानी होंगी।

6 ठेकेदार को अधिकारियों के कक्ष में खाद्य सामग्री मंगाए जाने पर, उपलब्ध करानी होंगी।

7 ठेकेदार को कार्यालय की कैंटीन में पकाने एवं परोसने के लिए अपने बर्तनों, ईंधन एवं अन्य सामग्री का प्रबंध करना होगा। कभी भी, ईंधन के लिए ईंधन काष्ठ (जलाऊ लकड़ी) के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8 अनुबंध की अवधि में किए गए किसी भी नुकसान के लिए अथवा किसी भी प्रकार के कर्ज के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, एवं सामान की हानि के लिए पूर्ण रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

9 भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कभी भी प्राधिकृत अधिकारी/ उप महानिदेशक (प्रशासन) द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकता है।

10 कैंटीन का अनुबंध बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा/एवं कोई कारण स्पष्ट किए बिना ही कभी भी रद्द किया जा सकता है।

11 यदि ठेकेदार अनुबंध समाप्त करना चाहता है, तो विभाग को एक माह का नोटिस देते हुए एवं कारणों का जिक्र करते हुए सूचित करना होगा।

12 पैंसिल से भरी व अस्पष्ट (संशोधित/काट–छांट एवं उपरी लिखावट) निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

13 बेलीदाता द्वारा बोली/निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। अपूर्ण और बिना हस्ताक्षर के निविदाए अस्वीकार कर दी जायेंगी।

14 निविदाएं **दिनांक 19/06/2014 को अपराहन 15:30 बजे** इच्छुक बोलीदाता अथवा उसके/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि इच्छुक हों, की उपस्थिति में खोली जायेंगी। यदि दिनांक 19/06/2014 को अवकाश हो तो, निविदाएं / बोलियां अगले कार्य दिवस पर उक्त समय पर एवं उक्त स्थान पर ही खोली जाएंगी।

15 किसी परिस्थितिवश अथवा नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत यदि बोलीदाता एवं विभाग के बीच किसी प्रकार की असहमति या विवाद उत्पन्न हो तो, वो मामले को सौहादपूर्ण ढंग से प्रत्यक्ष अनौपचारिक बातचीत से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि फिर भी, इस संबंध में कोई असहमति उत्पन्न होती है, तो यह मामला महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, डाकघर – न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006 के अधिकार क्षेत्र में होगा एवं महानिदेशक की तरफ से विवाद को सहायक महानिदेशक (प्रशा0) के स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जायेगा समझोता न होने की स्थिति में सहायक महानिदेशक (प्रशा0) द्वारा प्रस्तावित समझौते के विरूद्ध कैंटीन संचालक, उपमहानिदेशक (प्रशा0) के समक्ष समस्या के उचित समाधान हेतु अपील कर सकता है एवं उपमहानिदेशक (प्रशा0) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा

16 ठेकेदार खाना पकाने एवं गर्म करने के उद्देश्य से कोई विद्युत चालित हिटर प्रयोग नहीं करेगा। यदि कैंटीन निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार का उल्लंधन पाया गया, तो उसे ₹ 1,000/– का जुर्माना देना होगा।

17 कैंटीन की खाद्य सामग्री के मूल्य परिशिष्ट – 3 में सूचिगत किए गए अधिकतम मूल्य से कम होने चाहिए।

18 कैंटीन परिसर में ठेकेदार को शराब के सेवन और सुविधा मान्य नहीं होगी।

19 ठेकेदार सख्ती रूप से किसी प्रकार की शराब/गुटखा/तम्बाकू/सिग्रेट/पान मसाला/बिड़ी अथवा अन्य मादक द्रव्य नहीं बेचेगा। यदि शराब/गुटखा/तम्बाकू/सिग्रेट/पान मसाला/बिड़ी अथवा अन्य मादक द्रव्य के संबंध में कोई उल्लंघन पाया गया तो, इस प्रकार के प्रत्येक उल्लंधन के लिए ठेकेदार को ₹ 1,000/– तक का जुर्माना दंड के रूप में भरना होगा।

20 यदि अन्य कोई अनिवार्य पंजीयन जैसे **''पके हुए भोजन की बिक्री''** एवं **''कैंटीन संचालन के कार्य''** से संबंधित वैधता एवं अनिवार्य नवीनीकरण आदि समय पर कराना अनिवार्य होगा, बाद की तारीख में किसी भी लंबित कार्य के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, उक्त के लिए किसी भी प्रकार से भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।

21 ठेकेदार को कैंटीन में सामग्री की कीमत की सूची भी प्रदर्शित करनी होगी। कैंटीन में ठेकेदार को एक सुझाव एवं शिकायत पंजिका भी रखनी होगी।

22 भोज्य सामग्री के प्रतिरूप/अस्वच्छता के प्रत्येक मामले में ठेकेदार को उसके समरूप ₹ 1,000/– का जुर्माने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि ठेकेदार को निम्नतम दर मूल्य अथवा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अनुमोदित मूल्य से अधिक के मूल्य पर सामग्री बेचने की स्थिति में पाया जाता है, तो प्रत्येक उल्लंघन के लिए उसे ₹ 1,000/– का जुर्माना देना होगा।

23 ठेकेदार द्वारा कैंटीन का विद्युत शुल्क वास्तविक खपत के अनुसार जमा करना होगा।

24 ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों की नियुक्तियां एवं वित्तिय भार स्वयं ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। उसके द्वारा तैनात अन्य कार्मिक के निम्न मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा इत्यादि के संबंध में कानूनी प्रावधानों के लिए एवं प्रतिभूति जमा के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। कानून के तहत निर्धारित कानूनी प्रावधानों को बनाए रखने हेतु ठेकेदार की विफलताओं के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

25 बेलीदाता को निम्नतम दो वर्ष का अनुभव अथवा पूर्व में वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में संतोषजनक कार्य अनुभव के आधार पर ठेकेदार निविदा में भाग लेने के लिए पहले ही योग्य माना जाएगा। यदि किसी सरकार/राज्य सरकार द्वारा उसे काली सूची में शामिल किया गया है, तो वह निविदा में शामिल होने योग्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, यदि ठेकेदार तथ्यों को छुपाकर निविदा का अनुबंध प्राप्त कर लेता है, और बाद में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के संज्ञान में आ जाए, तो उसका अनुबंध तुरंत रद्द हो जाएगा, और प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

दिनांक 4 जून, 2014
स्थान : देहरादून

(विवेक खांडेकर)
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
डाकघर – न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006

परिशिष्ट – 3
प्रपत्र

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (मुख्यालय) कैंटीन में उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री (मूल्य/दर सहित) की सूची :

क्रम सं0	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा	अधिकतम मूल्य (₹)	मूल्य/दर (₹)
1	चाय (डीप टी)	1	8/–	
2	दूध युक्त चाय	1	5/–	
3	कॉफी	1	10/–	
4	भोजन (रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद)	1	30/–	
5	सब्जी एवं दाल सहित, चावल	1	20/–	
6	कोल्ड ड्रिंक (200 मी0ली0)	1	मुद्रित मूल्य	
7	फ्रुटी	1	मुद्रित मूल्य	
8	रोटी	1	4/–	
9	दाल	1 प्लेट	10/–	
10	तरीदार सब्जी	1 प्लेट	10/–	
11	मिक्स सब्जी (शुष्क सब्जी)	1 प्लेट	10/–	
12	लस्सी	1 ग्लास	15/–	
13	मठ्ठा	1 ग्लास	5/–	
14	दही	100 ग्राम	5/–	
15	समोसा	1	6/–	
16	ब्रेड पकोड़ा	1	8/–	
17	सब्जी पकौड़ा, प्रति प्लेट	1	10/–	
18	दही के साथ आलू पराठा	1	20/–	
19	दही बिना आलू पराठा	1	15/–	
20	मैगी/चाऊमीन/मैक्रोनी/ऐप्पी	1 प्लेट	मुद्रित मूल्य	

नोट : 1. शराब/गुटखा/तम्बाकू/सिग्रेट/बिड़ी अथवा अन्य किसी भी तरह के मादक पदार्थ सख्ती से प्रतिबंधित हैं।

2. मांसाहारी व्यंजन पकाया/परोसा नहीं जायेगा।

____

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

दिनांक : 4 जून, 2014

स्थान : ————————

____

(बोलीदाता का नाम एवं पूरा पता)